बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०स०–स्था०1/आ०2–10/2015 111 पटना, दिनांकः 14.03.18

**कार्यालय आदेश**

श्री आनन्द बिहारी चौहान तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कोचाधामन प्रखंड, किशनगंज संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कुर्साकांटा प्रखंड, अररिया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता किशनगंज के पत्रांक 368/जि०आपूर्ति दिनांक 29.04.2015 द्वारा गठित आरोप के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० 125 सहपठित ज्ञापांक 742 दिनांक 16.06.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गई थी जिसमें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, किशनगंज को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। निदेशालय के का०आ०सं० 270 सहपठित ज्ञापांक 1799 दिनांक 20.11.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, किशनगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता–सह– संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1722 दिनांक 17.10.2016 द्वारा श्री आनन्द बिहारी चौहान के स्पटीकरण के समीक्षोपरांत निम्न मंतव्य के साथ प्रतिवेदन समर्पित किया गया है :–

प्रश्नगत धान अधिप्राप्ति में तथाकथित गबन के इस मामले में अरोपी पदाधिकारी के कारणपृच्छा एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण से यह प्रथम द्रष्टया फर्जीवाड़ा का मामला बनता है, जिसके लिए कोचाधामन थाना कांड संख्या 175/2012 धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 120(B) 34 भा०द०वि० के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है जो न्यायालय में विचाराधीन है। जहॉ तक आरोपी पदाधिकारी का यह कथन है कि तथाकथित फर्जीवाड़ा में उनकी संलिप्तता नहीं, मान्य प्रतीत नहीं होता है और उनके इस कथन से उनकीं इस जिम्मेवारी की इतिश्री नहीं हो सकती ।

क्रय केन्द्र प्रभारी का दायित्व है कि क्रय केन्द्र पर उपस्थित रह कर अपने पर्यवेक्षण में किसान से धान क्रय तथा पैक्स से धान प्राप्त कर Purchase cum Payment Voucher निर्गत करें। ऐसी स्थिति में जब इनके द्वारा भाउचर पर हस्ताक्षर नहीं किया गया (मात्र कार्यपालक सहायक द्वारा हस्ताक्षरित Purchase cum Payment Voucher जिला प्रबंधक,, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज को निर्गत किया गया ), तो किस परिस्थिति में इनके द्वारा नियमित रूप से प्रतिवेदन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज को प्रेषित किया जाता रहा ? क्रय केन्द्र प्रभारी से यह भी अपेक्षित था कि इनके द्वारा दैनिक रूप से क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और वास्तविक अधिप्राप्ति किये गये धान का प्रतिवेदन इनके द्वारा प्रेषित किया जायगा। परन्तु बिना भौतिक सत्यापन के प्रतिवेदन भेजना या तो कार्य के प्रति इनकी लापरवाही दर्शाता है या इस बात की संभावना दर्शाता है कि इनकी जानकारी में यह बात थी कि धान का क्रय नहीं किया गया है, अतः भाउचर पर हस्ताक्षर करना अनुचित होगा। पूरी अधिप्राप्ति प्रक्रिया के दौरान इन्होंने पैक्स द्वारा धान उपलब्ध नहीं कराने संबंधी कभी कोई

सूचना किसी स्तर पर नहीं दी गई बल्कि स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित अधिप्राप्ति प्रतिवेदन प्रेषित कर फर्जी क्रय को छिपाने का प्रयास किया जाता रहा ।

इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी के नियंत्रण में धान की अधिप्राप्ति में कथित गबन एवं फर्जीवाड़ा का होना इस बात की पुष्टि करता है कि वे केन्द्र प्रभारी के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहे है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 में किये गये प्रावधान के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय द्वारा श्री आनन्द बिहारी चौहान से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। इनके द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि इनके उपर आधारहीन और अप्रर्याप्त आधार पर विभागीय कार्यवाही चलायी गयी है। क्रय केन्द्र पर इनके साथ सहायक के रूप में श्री रविकांत पोद्दार नामक व्यक्ति कार्यरत था, जिसके द्वारा बिना धान क्रय किये हुए और बिना इनके हस्ताक्षर के भाउचर समर्पित किया जाता रहा, एवं उसके आधार पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम ने भुगतान किया है। राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक उसी जिला के रहने वाले थे और उनके नजदीकी रिश्तेदार अनेक पैक्सों के कर्त्ता–धर्त्ता थे। ये सभी लोग मिलकर सरकारी राशि का गबन किया है। इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा जॉच किया गया जिसमें इनको निर्दोष दर्शाया गया है। इसके विपरीत जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा 88,28,729=84 (अठासी लाख अठाईस हजार सात सौ उन्तीस रूपये चौरासी पैसा) राशि के गबन के लिए इनके उपर तथा सहायक श्री रविकांत पोद्दार के विरूद्ध कोचाधामन थाना में थाना कांड संख्या 175/2012 दायर किया गया । थाना कांड संख्या दर्ज होने पर अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायालय ने सभी तथ्यों को रखने पर इनको दिनांक 09.04.2013 को जमानत भी मिल गई । इस प्रकार ये पूरे तरीके से निर्दोष हैं।

4. इनके अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी । इनके अभ्यावेदन में वर्णित अनुमंडल पदाधिकारी का जॉच प्रतिवदेन का एक पन्ना जिसमें ज्ञापांक 818 दिनांक 21.09.2013 अंकित है, में श्री चौहान को निर्दोष नही बताया गया है बल्कि इसमें स्पष्ट किया गया है कि फर्जी क्रय दर्शाते हुए सरकारी राशि की निकासी की जाती रही और क्रय केन्द्र प्रभारी तथा कार्यपालक सहायक के साथ–साथ मो०एम०इस्लाम, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज की इसमें संलिप्तता है। इसके साथ ही यह भी वर्णित है कि " क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन किये बिना प्रतिवेदन प्रेषित किया जाता रहा परंतु भाउचर पर हस्ताक्षर नहीं करना इस बात का द्योतक है कि संभवतः क्रय केन्द्र प्रभारी को फर्जी क्रय की जानकारी थी।"

क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते श्री आनन्द बिहारी चौहान से अपेक्षित था कि वे दैनिक रूप से क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन करते और वास्तविक अधिप्राप्ति किये गये धान का प्रतिवेदन प्रेषित करते, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि श्री चौहान को वहॉ पर हो रहे

अनियमितता की जानकारी थी, जिससे सरकार को आर्थिक राजस्व की क्षति हुई । अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही है।

5. सचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एव उस पर श्री आनन्द बिहारी चौहान, तत्कालीन धान क्रय केन्द्र प्रभारी, कोचाधामन के अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत श्री चौहान पर 6140.36 क्विंटल धान के गबन में संलिप्तता प्रमाणित होता है।

6. उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री आनन्द बिहारी चौहान पर संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि को रोकने का दड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आनन्द बिहारी चौहान, तत्कालीन प्रखड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कोचाधामन प्रखंड, किशनगंज सप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कुर्साकांटा प्रखंड, अररिया पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, के नियम 14 में किये गये प्रावधानो के तहत संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि को रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(पूनम)

निदेशक

ज्ञापांक:– स्था०1/आ०2–10/2015 637 पटना, दिनांक – 14.03.18

प्रतिलिपि:– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 368/जि०आपूर्ति दिनांक 29.04.2015 एवं पत्राक 454 दिनाक 15.05.2015 के आलोक मे सूचनार्थ एव इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि धान गबन के समतुल्य राशि की वसूली हेतु विधि–सम्मत कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

3. जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, किशनगंज/अररिया।

5. प्रंखड विकास पदाधिकारी, कोचाधामन प्रखंड, किशनगंज/कुर्साकाँटा प्रखंड, अररिया।

6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7. श्री आनन्द बिहारी चौहान, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कुर्साकांटा प्रखंड, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/3/18

निदेशक

*02961 स्था० 1 (08 मार्च 2018 ) आनन्द बिहारी चौहान*